



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 285 राँची, सोमवार,

12 अप्रैल, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

05 अप्रैल, 2021

आदेश सं०-5/आरोप-1-29/2015 का०-2101-- मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची के गै०स०प्रे०सं०-3600844, दिनांक 07.05.2015 के माध्यम से श्रीमती निर्मला देवी, माननीय सदस्या, झारखण्ड विधान सभा का परिवाद पत्र उपलब्ध कराया गया जिसमें श्री कुमार अभिनव स्वरूप, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरातू के विरुद्ध विधायक मद में 20 से 25 प्रतिशत तथा मनरेगा योजना में 50-55 प्रतिशत राशि वसूलने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया तथा श्री रितेश जायसवाल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पतरातू के विरुद्ध दाखिल-खारिज हेतु 25000 से 50000 रुपये लेने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-6120, दिनांक 09.07.2015 द्वारा उपायुक्त, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा उनसे जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर कई स्मार पत्रों द्वारा स्मारित किया गया।

तत्पश्चात्, उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-554/स्था०, दिनांक 21.12.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं साक्ष्यों की प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है। उपायुक्त, रामगढ़ उक्त परिवाद पत्र

की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ से कराने का उल्लेख करते हुए पत्र में अंकित किया गया कि “जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से आरोप निराधार प्रतीत होता है।”

अतः उपायुक्त, रामगढ़ के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री कुमार अभिनव स्वरूप, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरातू तथा श्री रितेश जायसवाल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पतरातू को सक्षम प्राधिकार के द्वारा संदर्भित आरोप से मुक्त किया जाता है।

विशाल सागर,
सरकार के संयुक्त सचिव।
